"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 785] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2025 — अश्विन 11, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2025

आदेश

क्रमांक एफ 4–2/2021/रास/निजी/यू.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 36 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर द्वारा डॉ. संतोष कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र), शासकीय साइंस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का पूर्णकालिक सदस्य (प्रशासनिक) नियुक्त किया गया है।

2. डॉ. संतोष कुमार गुप्ता का कार्यकाल, उपलब्धियॉ तथा सेवा शर्ते उक्त अधिनियम तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अध्यधीन होगी।

हस्ता./–

(निधि साहू)
राज्यपाल के उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.